>

Title: Requests to rehabilitate the persons affected with the demolition by the DDA in New Ashok Nagar, East Delhi.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में ९ मार्च,१९९९ को डी.डी.ए. के द्वारा दो दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह उन बस्तियों में से एक है जिन १०७१ बस्तियों को दिल्ली सरकार ने पास करके भारत सरकार को भेजा है और यह मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। डी.डी.ए. ने वहां उन मकानों को तोड़ दिया।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बताइये, विस्तार मे मत बताइये।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सारे लोग वहां बैठे हैं। आज प्रधान मंत्री जी के पास भी हजारों की संख्या में लोग आये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दिल्ली की १०७१ कालोनियों में से एक कालोनी है। डी.डी.ए. ने बिना किसी पूर्व सूचना के बड़ी बेरहमी के साथ मकानों को तोड़ा है। वहां लोग आज खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। मैं आपसे माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जब दिल्ली सरकार ने यह तय किया था कि दिसम्बर,१९९३ के बाद की किसी बस्ती को नहीं तोड़ा जायेगा फिर यह बस्ती क्यों तोड़ी जा रही है। ऐसा करके केन्द्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि वह इस मामले में कुछ दखल दें, जिससे कि इस मामले का समाधान हो सके। दिल्ली की बहुत सारी अथोराइज्ड कालोनियों के मामलों में से यह एक मामला है। यह मामला केवल मेरा ही नहीं, बल्कि दिल्ली के सभी सासंद जो उन क्षेत्रों से आते हैं, सभी से संबंधित है। मैं पुनः मांग करना चाहता हूं वे इस मामले में मंत्री जी से कहकर जरूर दखल दिलवायें, वहां गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।